

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 268/2017/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त एम, जयपुर
बनाम
मैसर्स दीपक एंटरप्राइजेज,
शॉप नं0 48, जे.डी.ए., कॉम्पलेक्स,
मुरलीपुरा, जयपुर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एम.एल. रामपुरिया, सी.ए.

.....विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 22.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 53/अपील्स-III/आरवैट/वी/2015-16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 17.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-एम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत आरोपित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि वर्ष 2007-08 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.2010 को पारित किया गया। जांच करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में 5,51,775/- का डिस्काउंट ट्रेडिंग अकाउंट में दर्शाया हुआ है एवं राशि रुपये 5,51,775/- को वैट इनवाइस में नहीं दर्शाया जाकर पश्चातवर्ती डिस्काउंट क्लेम किया गया है जिसे अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.50 प्रतिशत की दर से कर राशि रुपये 68,972/- एवं ब्याज रुपये 64,144/- कुल मांग राशि रुपये 1,33,116/- आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर.....2

31

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का वर्ष 2007-08 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.03.2010 को पारित किया गया। जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में रुपये 5,51,775/- का डिस्काउण्ट ट्रेडिंग एकाउन्ट में दर्शाया है। समय-समय पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये गये परन्तु व्यवहारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 में दर्शाये गये डिस्काउण्ट रुपये 5,51,775/- को वैट इन्वॉयस में नहीं दर्शाया जाकर पश्चातवर्ती डिस्काउण्ट क्लेम किया गया है अतः छूट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। व्यवहारी को अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। व्यवहारी ने आलोच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। जिसके अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से अपास्त किया है अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आई.टी.सी. का रिवर्स की गई है उसका कोई विधिक आधार नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा माल का जो क्रय किया गया था उस माल पर जो भी कर चुकाया गया है उसकी आई.टी.सी. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार अनुमत होती है एवं उस राशि में से अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत प्रयुक्त माल के सम्बन्ध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही रिवर्स किया जा सकता है।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2011 से अधिनियम की धारा 18 में उप धारा 3ए जोड़ते हुए यह प्रावधान किए गए हैं कि अनुदानित बिक्री (Subsidized sale) के मामलों में इनपुट टैक्स की राशि आउटपुट टैक्स की राशि से अधिक नहीं हो सकती परन्तु यह प्रावधान भी दिनांक 09.03.2011 के बाद ही प्रभावी होते हैं, ऐसी स्थिति में दिनांक 09.03.2011 के पूर्व यदि किसी व्यवसाई द्वारा माल के खरीद मूल्य से कम मूल्य पर भी विक्रय किया जाता है तब भी आई.टी.सी. को रिवर्स किए जाने के प्रावधान विद्यमान नहीं थे। दिनांक 09.03.2011 से नए प्रावधान जोड़ने से भी विधायिका की यह मन्शा स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2011 के पूर्व विक्रय मूल्य

निरन्तर.....3



Subsidized होने पर भी आई.टी.सी. कम नहीं की जा सकती थी। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2007-08 से संबंधित है तथा यह धारा 18 में किये गये संशोधन से पूर्व का है जब अनुदानित बिक्री पर आई.टी.सी. रिवर्स करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं था।

7. इस सम्बन्ध में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 244/2012/अलवर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, अलवर बनाम मैसर्स महावीर टेलीकॉम, अलवर निर्णय दिनांक 14.11.2017 में निर्णीत किया गया है कि :-

“अधिनियम की धारा 18 में दिनांक 09.03.2011 के पश्चात यह संशोधन किया गया है कि आउटपुट से अधिक राशि की इनपुट राशि दिनांक 09.03.2011 के पश्चात अनुमत नहीं की जायेगी और उसमें भी यह शर्त है कि केवल उन मामलों में ही माल का विक्रय सब्सिडाइज्ड मूल्य पर किया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रकरण दिनांक 09.03.2011 से पूर्व के वर्ष का है अतः कर निर्धारण आदेश में रिवर्स की गई आई.टी.सी. के निर्णय को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने एवं उसके अनुरूप ही उसके ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं की गयी है बल्कि इस निर्णय की उक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की जा चुकी है।”

8. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकार बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी के प्रकरण S.B. Civil (VAT) Revision No. 208/2012 निर्णय दिनांक 17.09.2013 में राजस्थान कर बोर्ड के तत्संबंधी निर्णय जिसमें 09.03.2011 से पूर्व प्राप्त ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि के संबंध में आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने को अपास्त किया गया था, की पुष्टि की गई है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों के क्रम में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है तथा उक्त आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।
9. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में जो ITC reversal को अपास्त किया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है अतः उसकी पुष्टि की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।


22.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य